

## परिपत्र

### एकीकृत बूचड़खाने-सह-मांस प्रसंस्करण संयंत्र/स्टैंड अलोन बूचड़खाने और मांस प्रसंस्करण संयंत्र

दिनांक: 6/11/2015

संदर्भ सं.: एमपीडी/निरीक्षण/2015/

दिनांक: 3.11.2015

कृपया मांस संयंत्र पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन के संबंध में एपीडा की वेबसाइट [www.apeda.gov.in](http://www.apeda.gov.in) पर होस्ट की गई अधिसूचना दिनांकित 9.2.2015 देखें। यह देखा गया है कि इस अधिसूचना के अनुसार मांस संयंत्र समय पर नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं। भविष्य में, मांस संयंत्र जिसका नवीकरण वैधता की तारीख के अनुसार आगामी माह में होने वाला है, को निर्धारित समय के भीतर आवेदन करने की सलाह दी जाती है। यदि आवेदन समय पर प्राप्त नहीं होता है, अर्थात् नवीनीकरण तिथि से तीन महीने के भीतर, तो यह निर्देश दिया जाता है कि मांस संयंत्र को वेबसाइट पर सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा और पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, यह उल्लेख किया गया है कि राज्य पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 'मीट.नेट' का उपयोग एपीडा द्वारा शुरू किया गया है। अतः सभी मांस संयंत्र नामित राज्य पशु चिकित्सा अधिकारियों से पशु स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करना सुनिश्चित करें। मीट नेट के उपयोग में किसी भी कठिनाई के मामले में कृपया मीट नेट हेल्पलाइन [meatnet@apeda.gov.in](mailto:meatnet@apeda.gov.in) or [orukvats@apeda.gov.in](mailto:orukvats@apeda.gov.in) पर संपर्क करें।

धन्यवाद,

भवदीय,

यू के वत्स

उप महाप्रबंधक